

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कं. एफ 1 (43)पीएस / निकाशि / 2011 / ३२५

दिनांक 16-8-11

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य के अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा दिये गये विकल्प एवं उसके आधार पर दिनांक 11.08.2011 को आयोजित की गयी रिव्यू संवीक्षा समिति की बैठक की अनुशंसा पर अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत रहे कर्मचारियों को सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

स्कीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	प्र. सं.	आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम	वर्तमान पद	जन्म तिथि	महाविद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	15	विजय कुमार मिश्रा पुत्र श्री भवानीशकर मिश्रा	कार्टोग्राफर	11/9/51-	दयानन्द महा. अजमेर; (2)
2	207	विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा	कार्यो अधीक्षक	11/04/59- 4/c	कानोड़िया पी० जी० महिला महाविद्यालय, जयपुर - (25)
3	279	श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि श्री चिरंजीव लाल गुप्ता	अनुदेशक जी. पी.ई.एम.	15-09-51-	श्री सत साई कॉलेज फॉर बुमेन, जयपुर (33)
4	418	हरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री जे.पी.वर्मा	व.लि.	28-06-72- 4/c	विनोदिनी पी०जी० कॉलेज, खेतडी (45)
5	421	राम निवास पुत्र श्री गुडराम	क.लि.	10-08-64 - 2/c	विनोदिनी पी०जी० कॉलेज, खेतडी (45)
6	563	ललित पांडे / श्री बसंत कुमार पांडे	अध्यक्ष	30/05/1954 ()	साहित्य संस्थान, उदयपुर (69)
7	593	श्री ओमप्रकाश शर्मा / परशुराम उपाध्याय	इन्स्टक्टकर (प्रसार व्यवस्थापक)	15.3.1957	विद्याभवन रुरल इन्स्टीट्यूट उदयपुर (71)

- इन कर्मचारियों को संबंधित अनुदानित महाविद्यालय से अपना कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र लेकर संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 24.08.2011 तक प्रस्तुत करने होगे।
- इन कर्मचारियों के राजकीय सेवा में आमुखिकरण (ओरियोन्टेशन) संबंधी आदेश अलग से जारी किये जायेंगे। तदनुसार इन कर्मचारियों को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी।
- कर्मचारियों के पदस्थापन संबंधी आदेश राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
- संबंधित अनुदानित महाविद्यालय से कार्यमुक्ति तक के समर्त बकाया भुगतान एवं उस समय तक यदि किसी माननीय न्यायालय में कोई वाद बकाया है तो उसकी समर्त जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी एवं उसके पूर्व नियोक्ता महाविद्यालय की होगी।
- संबंधित कर्मचारियों के शैक्षणिक अभिलेखों एवं अन्य दस्तावेजों में किसी प्रकार की विसंगति अथवा गलत तथ्य पाये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार स्वतन्त्र होगी।

(सुबीर कुमार)

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

कं. एफ 1 (43)पीएस/निकाशि/2011/३२५

दिनांक 16-8-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, शिक्षा ग्रुप-5, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
12. संबंधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
13. संबंधित प्राचार्य/सचिव, अनुदानित महाविद्यालय / संबंधित कर्मचारी।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर